

रिपोर्ट परतवारी हत्का/आई०एल०आर०
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
 का नाम रत्नाक्षि पुत्र देवी के कतान-742 में प्रती
 स. 2069-72 में रत्नाक्षि पुत्र देवी के नाम पर जमाबंदी
 के अन्तर्गत प्रती का नाम रत्नाक्षि पुत्र देवी प्रस्तावित है।
 2/11/2021
 राजस्थान-भोड़जी

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अभियांका की जाती है / की जाती है।

2/11/21
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला मुंसुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 2/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रायली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	भोड़जी	207578	742	रत्नाक्षि पुत्र देवी	रत्नाक्षि पुत्र देवी

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

2/11/21
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 2/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 748-49

लिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

2/11/21
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी